अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० V/S ग्रा०प० सामरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2023/167) अपील 05/2023
31/7/2023	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के नामान्तरण संख्या 480 दिनांक 02/3/2023 इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट ने ग्राम अमरपुरा ग्रा०प० ~~[illegible]~~ सामरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 72 रकबा 0.72 हे० में से 0.50 हे० भूमि अपीलान्ट के लीज क्षेत्र में होने से खनन हेतु जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27/01/2023 को क्रय की, जिसका नामान्तरण अपीलान्ट के नाम पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सामरी से निर्णित करवाया जिसमें भूल से रकबा 0.72 हे० में से 0.50 हे० दर्ज नहीं कर पूरा ही रकबा 0.72 हे० अपीलान्ट के नाम अंकित कर दिया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा भूलवश उक्त आराजी के पूरे रकबे का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम किया जबकि खरीदशुदा रकबा मात्र 0.50 हे० ही है, यह एक सद्भावी भूल है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट एक ~~[illegible]~~ पब्लिक लि० कम्पनी है और किसी भी प्रकार के रेकार्ड की गलती से विक्रेतागण को कोई परेशानी नहीं हो और कम्पनी के प्रति कोई दुर्भावना की स्थिति नहीं बने, जिससे अपीलान्ट रेकार्ड में सुधार (हस्ताक्षर) (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

A3

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. V/s ग्राम प. सामरी **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** (2023/167) अपील 05/2023	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
हेतु यह अपील प्रस्तुत करना रखा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सामरी के आदेश दिनांक 02.3.2023 को सेसोल्वित किया जाकर मौजा अमरपुरा की आराजी संख्या 72 में से मात्र 0.40 हे. रकबा ही अपीलान्ट के नाम नामान्तरण कर रेकार्ड में अंकित करवाया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर गहनता से चिन्तन मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 480 निर्णय दिनांक 02/3/2023 द्वारा ग्राम पंचायत सामरी बाबत ग्राम अमरपुरा प. ह. सामरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 72 - निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारान को लिखित सूचना दी जाकर नियमानुसार सुनवाई के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़	